

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103004572012

दांडिक प्रकरण क.-321/12

संस्थापित दिनांक-16.08.12

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-देवेंद्र पुत्र कृपाल सिंह लोधी निवासी महोली।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 10.03.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत मोटरयान की धारा 66/192, 3/181, 39/192 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी द्वारा दिनांक 13.08.12 को फतेहाबाद तिराहा चंदेरी पर वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी के पास ड्रायविंग लायसेंस एवं परमिट न होना पाया गया। जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 245/12 के अंतर्गत मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192, 3/181, 39/192 के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04- प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192, 3/181, 39/192 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 13.08.12 को समय 15.30 बजे वाहन क्रमांक एमपी 67 टी 0207 मेजिक को बिना परमिट के सार्वजनिक स्थान पर चालन कर धारा 66 मोटरयान अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मैजिक को बिना ड्रायविंग लायसेंस के चालन कर धारा 3 मोटर यान अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना पंजीयन के चालन कर धारा 39 मोटरयान अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशुद्ध एवं अंतर्वर्तित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 राहुल चतुर्वेदी, अ.सा. 02 एल के पंचोले, अ.सा. 03 प्रतिपाल की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 राहुल चतुर्वेदी ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को एसआई पंचोले द्वारा बस के संबंध में चालानी कार्यवाही की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार बस ओवर लोडिंग सवारियां भरे हुई थी तथा पंचनामा प्रपी 01 पर उसके हस्ताक्षर कराए गए थे जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार वाहन से संबंधित दस्तावेज नहीं मिले थे। अ.सा. 02 एल के पंचोले ने भी अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा दिनांक 13.08.12 को वाहन चेकिंग की गई थी। वाहन की चेकिंग फतेहाबाद तिराहे पर की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार चेकिंग के दौरान वाहन में सवारी बिठाने का परमिट और लायसेंस नहीं पाया गया था जिसके संबंध में उसके द्वारा पंचनामा प्रपी 01 तैयार किया गया था। अ.सा. 03 पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने पुलिस के कहने पर प्रपी 01 पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

08— अभियोजन द्वारा अभिलेख पर जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि घटना दिनांक को फतेहाबाद तिराहे पर अ.सा. 02 द्वारा वाहन चेकिंग का कार्य किया गया था। अ.सा. 02 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वाहन चेकिंग के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 67 टी 0207 पर सवारी बिठाने का परमिट नहीं था और न ही ड्रायवर के पास लायसेंस था। उक्त तथ्य का अनुसमर्थन अ.सा. 01 की साक्ष्य से हो रहा है। अ.सा. 01 ने भी अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना दिनांक को फतेहाबाद तिराहे पर चेकिंग के दौरान उसने पंचनामे प्रपी 01 पर हस्ताक्षर किए थे। उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि चेकिंग के दौरान वाहन से संबंधित दस्तावेज नहीं पाए गए थे। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखंडित रही है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संदेहास्पद या अविश्वसनीय है। प्रकरण में आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी के पास वाहन चालित करने का ड्रायविंग लायसेंस एवं परमिट था।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन

अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192, 3/181, 39/192 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण समन विचारणीय है अतः दंड के प्रश्न पर आरोपी को सुनने की आवश्यकता नहीं है। अतः आरोपी को उक्त मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192 के आरोप में 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड के व्यतिक्रम पर आरोपी 7 दिन का साधारण कारावास भोगेगा एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के आरोप में 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड के व्यतिक्रम पर आरोपी 7 दिन का साधारण कारावास भोगेगा तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 के आरोप में 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड के व्यतिक्रम पर आरोपी 7 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मेजिक एमपी 67 टी 0207 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)